बिहार की सांस्कृतिक नीति : २००४ का प्रारूप

१.१ प्रस्तावना

बिहार की संस्कृति एक समन्वित, समृद्ध और लोकनिष्ठ जीवंत धारा के रूप में प्रवाहित है। इस राज्य की ऐतहासिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक है। विविध संस्कृतियों से बिहार का आदान-प्रदान रहा है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड और उड़ीसा की संस्कृतियों से इसके गहरे अन्तर्सम्बन्ध रहे हैं। इसके बावजूद आज बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता की स्पष्ट पहचान नहीं बन पायी है। संस्कृति के भिन्न रूप और चिन्ह बिखरे पड़े हैं। इन सभी सांस्कृतिक रूपों को ध्यान में रखकर इन्हें गति और दिशा प्रदान करने हेतु बिहार की सांस्कृतिक नीति का निर्धारण एक योजनाबद्ध और सुसंगत प्रयास है। सत्ता संस्कृति का निर्माण नहीं करती है बल्कि उसके सम्बर्द्धन में योगदान करती है। सामाजिक मेलजोल के बीच संस्कृति स्वतः स्फूर्त्त धारा है। बिहार सरकार सांस्कृतिक नीति का निर्माण रचनात्मकता के क्षेत्र में हस्तक्षेप के निमित्त नहीं बल्कि उसे प्रेरित, प्रोत्साहित एवं सुरक्षित करने की भावना से कर रही है।

२.१ सांस्कृतिक नीति की आवश्यकता

स्वभाविक रूप से यह प्रश्न हो सकता है कि इस सांस्कृतिक नीति की जरूरत क्या है? वस्तुतः नीति के अन्तर्गत किसी विषय-वस्तु से संबंधित अवधारणा और विचार को सूत्रबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग मार्ग-दर्शक-तत्व के रूप में होता है। सांस्कृतिक नीति के निर्धारण के पीछे भी यही दृष्टि है कि संस्कृति की विभिन्न धाराओं को सूत्रबद्ध कर उनके संरक्षण और विकास का मार्ग-दर्शक-सिद्धांत निरूपित किया जा सके, जिसके प्रति शासन और समाज दोनों समान रूप से जवाबदेह बने। इसमें दो राय नहीं कि संस्कृति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और हर क्षेत्र में लोग अपने-अपने ढ़ंग से काम कर रहे हैं। यह काम व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर चल रहा है। किन्तु कई बार ऐसा अनुभव किया गया है कि संस्कृति के इन अलग-अलग क्षेत्रों के बीच परस्पर संवाद और समन्वय का अभाव है। यदि किसी नीति के तहत इन्हें निकट लाया जाय और इनके विकास का अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराया जाय तो इसका सकारात्मक एवं प्रभावकारी परिणाम सामने आयेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक नीति की आवश्यकता है।

३.१ उद्देश्य

बिहार में सांस्कृतिक नवजागरण पैदा करने के उद्देश्य से :

(i) बिहार की समृद्ध साझी संस्कृति के विभिन्न आयामों का चिन्हितिकरण एवं अभिलेखन।
(ii) भाषायी, साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतहासिक एवं पुरातात्विक विरासतों का संरक्षण एवं सम्वर्धन।
(iii) बिहार की संस्कृति के संबन्ध में जनचेतना का निर्माण।
(iv) संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के मध्य तालमेल एवं समन्वय की स्थापना।
(v) संस्कृति के विकास में शिक्षा, पर्यावरण एवं पर्यटन की भूमिका की पड़ताल और इनके बीच समन्वय की स्थापना।
(vi) प्रतिष्ठित कलाकारों एवं संस्कृतिकर्मियों को सम्मानित करना, नये कलाकारों की संभावनाओं को उजागर एवं विकसित करना तथा उनके लिए उपयुक्त मंच, विपणन एवं बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना।

४.१ क्षेत्र-परिसीमन

सांस्कृतिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है - भाषा, साहित्य, दर्शन, शिक्षा, इतिहास, पुरातत्त्व, ललित कलाएँ, पुस्तकालय, पर्यावरण एवं पर्यटन।

५.१ सांस्कृतिक नीति के आयाम

भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ही सांस्कृतिक नीति के आयामों पर विचार किया जायेगा। बिहार 'क' श्रेणी का हिन्दी भाषी राज्य है जहाँ हिन्दी राजभाषा है और उर्दू द्वितीय राजभाषा। इसके अतिरिक्त बिहार की भाषाओं और बोलियों में मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं वज्जिका मुख्य हैं। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न इन बोलियों एवं भाषाओं में स्वभाविक रूप से अत्यधिक समानताएँ हैं। इन भाषायी क्षेत्रों की संस्कृतियों में भी बुनयादी एका है। यह एकता रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार, खान-पान, धार्मिक अनुष्ठान, साहित्य रचना आदि में अभिव्यक्त हुई है। इसी तरह बिहार की अपनी एक विशिष्ट ऐतहासिक, पुरातात्त्विक, दार्शनिक और कलात्मक परम्परा है। इस बहुमूल्य विरासत को ध्यान में रखकर ही सांस्कृतिक-नीति का निर्धारण हो रहा है।

५.२ चिन्हित कार्य

बिहार की सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने हेतु निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जायेगा -

(i) ऐतहासिक स्थलों, स्मारकों, साहित्यिक कृतियों, पाण्डुलिपियों, प्रस्तरमूर्तियों, कलाकृतियों आदि का चिन्हितिकरण, अभिलेखन एवं संरक्षण।

(ii) बिहार में हिन्दू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन और सूफी धर्मों से जुड़े ऐतहासिक स्थलों पर सरल एवं आकर्षक साहित्य एवं वेबसाईट का निर्माण तथा इस साहित्य के माध्यम से बिहार की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति।

(iii) सांस्कृतिक एवं ऐतहासिक विरासत से जुड़े स्थलों, कलाकृतियों आदि का संरक्षण और संबर्धन।

(iv) बिहार में प्रचलित लोककथाओं, लोकगीतों, लोकमंत्रों, लोकत्योहारों, लोक देवी-देवताओं (उदाहरणस्वरूप राजा सहलेस, चूहड़मल, बसावन-वख्तौर, दीनाभद्री, कारिख पंजियार) एवं इनसे जुड़े साहित्य एवं मेलों का चिन्हितिकरण, अभिलेखन एवं प्रकाशन।

(v) बिहार के विरासत स्थलों पर आकर्षक भू-दृश्य निर्माण एवं इन स्थलों एवं संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए संवेदनशील मार्गदर्शक की व्यवस्था।

(vi) विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर इतिहास की शिक्षा को स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों आदि से जोड़कर जीवन्त बनाने का प्रयास करना।

५.३ संस्थागत ढ़ाँचा

बिहार में भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई संस्थाएँ कार्यरत हैं। यथा - काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना, प्राकृत एवं जैन स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान वैशाली, पालि और बौद्ध स्नात्तकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान, नालन्दा, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय, बिहार सरकार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, बिहार इकाई, मिथिला संस्कृत स्नाकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा, अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, पटना, विभिन्न भाषा अकादमियाँ तथा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यासयों के भाषा, साहित्य, इतिहास और पुरातत्त्व के स्नात्तकोत्तर विभाग। परन्तु इन संस्थाओं में समन्वय और तालमेल का अभाव है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में बृहत्तर दायित्वों के संपादन के निमित्त इन संस्थानों में समन्वय स्थापित किया जाय।

६.१ चाक्षुस कलाएँ

बिहार में चाक्षुस कलाओं का इतिहास समृद्ध रहा है। परन्तु कुछ पारंपरिक कलाओं (जैसे मधुबनी कला) को छोड़कर अन्य शैलियाँ अपने क्षेत्र के बाहर अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं। इनमें से भागलपुर क्षेत्र की मंजूषा कला, भोजपुर क्षेत्र की पीड़िया कला आदि प्रमुख हैं। बिहार के अन्दर विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में प्रचलित ये शैलियाँ जनता के बीच कम जानकारी एवं पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव में लुप्त होने की सीमा तक पहुँच गई हैं। गया के समीप पत्थरकट्टी गाँव की

मूर्तिकला भी अब निर्जीव सी पड़ती जा रही है। इन शैलियों का चिन्हितिकरण एवं अभिलेखन नितांत आवश्यक है ताकि प्रदेश की इस कला के विकासक्रम को समझा जा सके, साथ ही इनका संरक्षण भी हो पाये। चाक्षुस कला की लोक शैलियों के अलावा दूसरा पक्ष समसामायिक कला का है, जिसकी पहचान बिहार के विभिन्न कलाकार व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतियों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाते आए हैं। राज्य सरकार इन सभी कला-रूपों के विकास का प्रयत्न करेगी।

६.२ चिन्हित कार्य

चाक्षुस कला के विकास एवं उसके प्रति नयी पीढ़ी में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कार्य-योजना को रूपायित किया जायेगा -

(i) सुविधानुसार उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय अपने परिसर में ही एक सांस्कृतिक म्यूजियम बनवायेंगे, जिसमें विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में प्रचलित चित्र शैलियों, शिल्प शैलियों का प्रदर्शन होगा।

(ii) राज्य की राजधानी में एवं संभव हुआ तो जिला मुख्यालयों में कला भवन का निर्माण कराया जायेगा, जो पूरे प्रदेश में प्रचलित कलाओं या क्षेत्र विशेष की कलाओं को प्रतिबिम्बित करेंगे।

(iii) अंतर-सांस्कृतिक (inter-cultural) आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कलाकारों के बीच विचार-विमर्श, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

(iv) प्रतिभावान कलाकारों को देश और विदेश में उनकी कृतियों/कला-विधाओं के प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) विभिन्न क्षेत्रीय कला-शैलियों की पहचान को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक प्रभाव से इन शैलियों को समृद्ध करने के लिए राजधानी एवं जिला मुख्यालयों में यथासंभव त्रैमासीय कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की जायेंगी।

(vi) जिला मुख्यालय या राज्य के हर शहर में प्रदर्शन एवं विपणन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, ताकि सैलानी तथा ऐसे लोग जिनकी कला में रूचि हो, वे इन विपणन केन्द्रों से कृतियाँ खरीद सकें।

(vii) प्रतिवर्ष राजधानी में या राज्य के किसी और बड़े शहर में एक वृहत् कला मेला का आयोजन किया जायेगा।

६.३ संस्थागत ढ़ाँचा

प्रचलित कलाओं को चिन्हित करने एवं उनका अभिलेखन करने का कार्य राज्य में स्थित ऐसे पंजीकृत संस्थान करेंगे जिन्हें सरकार या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। कला के प्रति समर्पित स्वतंत्र शोधकर्त्ताओं का भी सहयोग लिया जायेगा। सबसे अधिक मदद लोक समितियों, स्थानीय निर्वाचित निकायों एवं जागरूक स्थानीय कला प्रेमियों द्वारा मिल सकती है। इन कला शैलियों की पहचान एवं अभिलेखन उपरोक्त संस्थानों एवं माध्यमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पश्चात ही संभव हो पायेगा। बिहार ललित कला अकादमी और शिल्प कला महाविद्यालय के माध्यम से विशेष रूप से इस दिशा में पहल होगी। इस क्षेत्र में शोध द्वारा प्राप्त जानकारियों एवं अभिलिखित तथ्यों का प्रकाशन किया जायेगा।

७.१ मंचीय कला

मंचीय कला के अन्तर्गत गायन, वादन, नृत्य एवं नाटक की गणना होती है। इस दृष्टि से भी बिहार की अत्यंत समृद्ध परंपरा है। राज्य सरकार इसके संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के लिए कृत संकल्प है।

७.२ चिन्हित कार्य

(i) भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार के शास्त्रीय संगीत के

घरानों-अमता (दरभंगा), बेतिया और डुमराँव तथा कथक नृत्य के घरानों का अभिलेखीकरण एवं इनकी शैलियों का चिन्हितिकरण किया जायेगा। यही प्रक्रिया लोक नृत्यों, गीतों एवं लोक नाट्यों के क्षेत्र में भी अपनायी जायेगी। धार्मिक पर्व-त्योहारों के समय गाये जाने वाले गीत-नृत्य और नाटकों की पहचान सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में की जायेगी।

(ii) व्यक्तिगत दक्षता एवं सामूहिक निपुणता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के समरूप मानक तय किया जायेगा।

(iii) अभी बिहार में संगीत के अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए इच्छुक छात्र-छात्राएँ बिहार के बाहर की संस्थाओं से निबंधित होते हैं और इस प्रकार जो शुल्क राज्य को प्राप्त होना चाहिए, दूसरे प्रदेशों को चला जाता है। संगीत महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के छात्र बिहार में ही विधिवत् प्रशिक्षण ले पायेंगे और राज्य को वित्तीय लाभ के साथ सांस्कृतिक लाभ भी प्राप्त होगा। इसके लिए भारतीय नृत्यकला मंदिर को एक पूर्ण महाविद्यालय और बाद में संगीत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।

(iv) कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग करने के साथ-साथ राज्य सरकार इसके लिए एक स्थायी निधि की व्यवस्था का प्रयास करेगी।